

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.  
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)



वाद संख्या :- 02 / 64 / 2012

चेताराम बनाम सरकार  
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 30.03.2012 को आराजी विवादित साबिक खसरा संख्या 841/390 रकबा 5 बीघा व हाल नम्बर 776 रकबा 17.45 है. में से 5 बीघा वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 26.04.2012 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2012 से प्रभावी चल रहा है जिसे करीब 06 वर्ष का समय हो गया है इसलिए प्रकरण में आराजी विवादित की मौके की यथास्थिति को ताफैसला दावा स्थाई किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित साबिक खसरा संख्या 841/390 रकबा 5 बीघा व हाल नम्बर 776 रकबा 17.45 है. में से 5 बीघा वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ आंशिक स्वीकार किया जाकर आराजी विवादित की दावे के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)  
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)